



FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर

श्रीमती सुष्मी देवी बनाम श्री छिदानलाल

किस्म मुकदमा U/S 188 RTA.

मु0न0 88 सन 2019

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम कीतामील में जारी हुए |
|---------------------|---|---|
| 27-6-19 | <p>वकील वादीगण उपस्थित। वाद पत्र पर जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थना स्वीकार कर वादीगण को वाद चलाने की अनुमति दी जाती है। मिसल वाद दर्ज रजिस्टर प्रकरण होकर एवं सम्मन जारी होकर दिनांक 24-07-19 को पेश हो।</p> <p>(जसमीतसिंह संघू) उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर ब्यावर</p> | <p>3853 28/6/19</p> |
| 24-7-19 | <p>वकील वादी उपस्थित। रिपोर्ट एवं। वकील को वाद चलाने की अनुमति दी जाती है। मिसल वाद दर्ज रजिस्टर प्रकरण होकर एवं सम्मन जारी होकर दिनांक 26-08-19 को पेश हो।</p> <p>(जसमीतसिंह संघू) उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर ब्यावर</p> | |
| 30-7-19 30-07-19 | <p>वकील वादिया व स्वर्ण वादिया द्वारा उपस्थित। पत्र वास्ते मिसल नाम करेने प्राप्त ही तथा वाद विदो करने का आग्रह उपस्थित करने पर पत्रावली प्राप्त करने की गई। वादिया को वाद विदो का प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया व समझाया गया। वाद समझने, वादिया ने वाद में आगे कोई कार्यवाही नहीं चालने तथा आपसी राजीनामा हो जाने से वाद आगे नहीं चलाने का विकल्प दिखा। उक्त आशय के दस्तावेज (अंगूठा निशानी) वादिया से करवाई गई जिनकी पहचान उनके अधिवक्ता श्री निजम पारीक ने संकित की। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद अवलोकन वादिया का वाद विदो का आग्रह लोक अदालत की आबना से स्वीकार किया जाता है तथा वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फेसाल मुमर देकर नम्बर से कम हो।</p> <p>(जसमीतसिंह संघू) उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर ब्यावर</p> | <p>श्रीमती सुष्मी देवी 28/6/19 3853 28/6/19</p> |

